(V) एनआईयूए के नियम एवं विनियम तथा सेवा उप-नियम

संस्थान के नियम एवं विनियम

शीर्षक

1. ये नियम राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जो इसके पश्चात संस्थान के रूप में संदर्भित हैं, के नियम कहे जाएंगे।

मुख्यालय

2. संस्थान का मुख्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित होगा।

परिभाषाएं

3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "संस्थान" का अभिप्राय राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान से है।

(ख) "1880 का अधिनियम XXI" का अभिप्राय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम XXI, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) से है।

(ग) "शासी परिषद" का अभिप्राय नियम 9 के अधीन यथा गठित संस्थान की शासी परिषद से है।

(घ) "अध्यक्ष" का अभिप्राय संस्थान के अध्यक्ष से है।

(ङ) "उपाध्यक्ष" का अभिप्राय संस्थान के उपाध्यक्ष(क्षों) से है।

(च) "निदेशक" का अभिप्राय संस्थान के "निदेशक" से है।

(छ) "आधिकारिक वर्ष" का अभिप्राय किसी वर्ष विशेष के 1 अप्रैल से शुरू तथा आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे आधिकारिक वित्तीय वर्ष से है।

आम सभा तथा सदस्यता

आम सभा

4. संस्थान की आम सभा नियम-5 में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

सदस्यता

5. (1) संस्थान की सदस्यता में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगीः

(क) *(i) संस्थापक सदस्यः*

संगम ज्ञापन के सभी वैयक्तिक हस्ताक्षरकर्ताएं।

सभी राज्य सरकारें एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा गोवा स्थापना अनुदान के रूप में 1,00,000 रु. के भुगतान के अध्यधीन तथा अन्य अंडमान व निकोबार, दादरा और नगर हवेली, 50,000 रु. के स्थापना अनुदान के भुगतान के अध्यधीन तथा मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली स्थापना अनुदान के रूप में 25,000 रु. के भुगतान के अध्यधीन। ऐसे संस्थापक सदस्य जो स्थापना अनुदान का भुगतान करते हों, को आम सभा में दो प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार हो सकेगा।

(ख) *पदेन सदस्यः* भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि जिन्हें समय-समय पर नामित किया जाएगा, संस्थान की आम सभा के पदेन सदस्य होंगे।

(ग) *संरक्षक सदस्यः* शहरी प्राधिकरण तथा संगठन जो प्रति वर्ष न्यूनतम 10,000/- रु का योगदान देते हों, सोसाइटी के संरक्षक सदस्य होंगे तथा उन्हें आम सभा में एक प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार हो सकेगा।

(घ) *निगमित सदस्यः* निदेशक निगमित सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को शामिल कर सकता हैः-

1. क) शोध संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को 500/- रु. के प्रवेश शुल्क तथा 2500/- रु. के वार्षिक अंशदान के भुगतान के अध्यधीन, 2500/- रु. की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए, वार्षिक शुल्क 500/- रु. तथा एक मुश्त राशि आजीवन के लिए।

ख) नगर निगम जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, विकास प्राधिकरण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग, स्वायत्त बोर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट, संयुक्त स्टॉक कंपनियां तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा विनिर्माताओं अथवा व्यापारियों का कोई संगठन जो संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों में दिलचस्पी रखता हो, प्रवेश शुल्क के रूप में रु. 5000 + वार्षिक अंशदान के रूप में रु. 2500/- अथवा आजीवन सदस्यता के लिए 5000/- रु. प्रवेश शुल्क + आजीवन एक मुश्त राशि के रूप में रु. 15000/- के भुगतान के अध्यधीन।

ग) i) एक लाख से कम की जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं प्रवेश शुल्क के रूप में 1000 + वार्षिक अंशदान के रूप में 1000 अथवा आजीवन सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 1000 रु. + आजीवन 5000/- रु. की एक मुश्त राशि के भुगतान के अध्यधीन।

ii) वर्ग III/सी तथा नीचे की नगरपालिकाएं, प्रवेश शुल्क के रूप में रु. 500/- + वार्षिक अंशदान के रूप में 500 रु. अथवा आजीवन सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 500 रु. + आजीवन सदस्यता हेतु 2500/- रु. की एक मुश्त राशि के भुगतान के अध्यधीन।

उपर्युक्त श्रेणियों में निगमित सदस्य को आम सभा में एक प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार हो सकेगा।

घ) वैयक्तिक सदस्यः संस्थान समय-समय पर ऐसे कुछेक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है जिन्होंने सदस्य बनते हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता अथवा विशेष जानकारी हासिल की है और ऐसे व्यक्तियों पर केवल रु. 50/- वार्षिक शुल्क प्रभारित किया जा सकता है।

2. विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों के प्रवेश के लिए प्रयोज्य शर्तें एवं निबंधन तथा आवेदन प्राप्त करने का तरीका एक ऐसी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष और दो अथवा तीन संस्थापक सदस्य होंगे।

सदस्यों की नामावली

6. (i) संस्थान उन सदस्यों की एक नामावली का अनुरक्षण करेगा जिन्हें प्रवेश दिया गया है तथा जिन्होंने अपने अंशदान का भुगतान कर दिया है। इसमें उनका पूरा पता जैसा कि सदस्यता के लिए आवेदन में दिया गया था, उल्लिखित होगा।

(ii) जब कभी कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करेगा, वह संस्थान के निदेशक को अपने नए पते की अधिसूचना देगा किन्तु यदि वह परिवर्तन को अधिसूचित करने में विफल रहेगा तो सदस्यों की नामावली में यथा अभिलिखित उसके पते को ही उसका पता माना जाएगा।

(iii) सरंक्षक सदस्यों तथा निगमित सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा जिनके नाम समय-समय पर निदेशक को लिखित रूप में अधिसूचित किए जाएंगे।

(iv) जब कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद की हैसियत से संस्थान अथवा इसकी शासी परिषद का सदस्य हो तो उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद को धारित न करता हो तथा इस प्रकार से उत्पन्न रिक्ति को उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

(v) संस्थान का कोई सदस्य निदेशक को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे कर सकेगा किन्तु उसका त्यागपत्र शासी परिषद द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर ही प्रभावी होगा।

(vi) 1860 के अधिनियम XXI की धारा 15 के अनुसार संस्थान की सभी कार्यवाहियों में, ऐसे किसी व्यक्ति को मतदान करने अथवा सदस्य के रूप में गिने जाने का अधिकार नहीं होगा जिसका अंशदान उस समय तीन माह से अधिक अवधि से बकाया रहा हो।

(vi) संस्थान का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा दिवालिया हो गया हो अथवा नैतिक भ्रष्टता वाले किसी दंडनीय अपराध का अभिशस्त हो।

संस्थान के पदाधिकारी

7. (i) संस्थान के पदधारी होंगे-

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसी संस्तुतियों जो आम सभा इस संबंध में करें, पर यथोचित सोच-विचार करने के बाद की जाएगी। अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(ख) आम सभा द्वारा हर दूसरे वर्ष निर्वाचित दो उपाध्यक्षों से अनधिक उपाध्यक्ष।

(ग) सरकार के अनुमोदन से शासी परिषद द्वारा नियुक्त निदेशक। उसकी पदावधि तथा अन्य सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो शासी परिषद द्वारा विहित की जाए।

(घ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें शासी परिषद समय-समय पर नियुक्त करें।

(ii) उप-नियम (ii) के उपबंधों के होते हुए भी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा निदेशक जिनके नाम संगम ज्ञापन के खण्ड 4 मे उल्लिखित हैं, ऐसे समय तक पदभार धारण करेंगे जब एक नया अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और एक अन्य निदेशक इन नियमों के अधीन निर्वाचित हो जाएगा।

संस्थान की बैठकें

8. (1) *वार्षिक आम सभाः* संस्थान की आम सभा की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम एक बार ही तथा उस स्थान पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्य-संचालन करने के लिए विहित किए जाएं:-

(क) संस्थान के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की दो वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित करना;

(ख) नियम 9 के अनुसार शासी परिषद के दस सदस्यों को निर्वाचित करना;

(ग) प्रति वर्ष लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना;

(घ) संस्थान के वार्षिक लेखों के साथ वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना;

(ङ) किसी अन्य मामले पर विचार करना जिसके लिए निदेशक को लिखित में अग्रिम में नोटिस दे दिया गया हो तथा किसी अन्य अनुषंगी कार्य पर विचार करना जो सभापति की अनुमति से प्रस्तुत किया गया हो।

(2) *असाधारण आम सभाः* अध्यक्ष संस्थान के न्यूनतम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर संस्थान की असाधारण आम सभा आयोजित कर सकता है। संस्थान के सदस्यों द्वारा इस प्रकार किए गए प्रत्येक अधियाचन में उन उद्देश्यों की अभिव्यक्ति होगी जिनके लिए बैठक बुलाया जाना प्रस्तावित है तथा यह अधियाचन निदेशक के पते पर डाल दिया जाएगा अथवा उसके पते पर डाक से प्रेषित किया जाएगा। ऐसे किसी अधियाचन के प्राप्त होने पर निदेशक अध्यक्ष के साथ परामर्श करके संस्थान की बैठक तत्काल ही बुलाएगा। सभी असाधारण आम सभा की बैठकों में, अधियाचन के नोटिस में उल्लिखित विषय के अलावा कोई अन्य विषय पर अध्यक्ष की अनुमति के बगैर चर्चा नहीं की जाएगी।

(3) *नोटिसः* संस्थान की बैठक बुलाने के संबंध में प्रत्येक नोटिस में तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख होगा जहां ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी तथा ऐसी बैठक के लिए नोटिस नियत दिन से न्यूनतम पंद्रह दिन के भीतर संस्थान के प्रत्येक सदस्य को तामील किया जाएगा।

(4) *गणपूर्तिः* आम सभा की किसी बैठक के लिए वैयक्तिक रूप से उपस्थित कोई भी दस सदस्य गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

(5) *बैठक के अध्यक्षः* अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति मे उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(6) *बहुमत द्वारा निर्णयः* संस्थान के आम सभा की समक्ष सभी मामलों पर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास निर्णायक मत होगा।

शासी परिषद

9. शासी निकाय की संरचना

(1) 1860 के अधिनियम XXI के प्रयोजनार्थ संस्थान की शासी परिषद में वे सदस्य एवं पदधारी शामिल होंगे जिनके नाम संगम ज्ञापन के खंड 4 में उल्लिखित हैं। तथापि, पदधारियों को छोड़कर शासी परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर पंद्रह किया जा सकता है तथा इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शासी परिषद द्वारा सहयोजन द्वारा भरा जा सकेगा। शासी परिषद के सदस्य 31 मार्च, 1977 तक अथवा ऐसी पूर्ववती तारीख तक पद पर बने रहेंगे जब नई शासी परिषद का निम्नवत गठन किया जाएगाः-

(क) नियम 7(i) (क एवं ख) के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा आम सभा द्वारा निर्वाचित संस्थान के उपाध्यक्ष।

(ख) एक पदेन सदस्य जो वित्त मंत्रालय/शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग का प्रतिनिधि होगा जिसे वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है।

(ग) संस्थान की आम सभा की बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा नौ व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाना है ताकि उनमें से न्यूनतम आठ संस्थापक, संरक्षक, पदेन अथवा निगमित सदस्यों से लिए जा सकें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी परन्तु प्रथम निर्वाचन में आधे सदस्यों का निर्वाचन दो वर्षो के लिए किया जाएगा।

(घ) विभिन्न शाखाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकतम पांच सदस्य जिन्हें उस तारीख को समाप्त हो रहे कार्यकाल तक के लिए शासी परिषद द्वारा सहयोजित किया जा सकता है जिसको आम सभा की वार्षिक बैठक में नए निर्वाचन किए जाएंगे।

(ङ) निदेशक को शासी परिषद का पदेन सदस्य-सचिव होना चाहिए।

(2) मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सदस्यता की समाप्ति से उत्पन्न शासी परिषद के सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को पदावधि के असमाप्त भाग जिससे रिक्ति उत्पन्न हुई हो, के लिए शासी परिषद द्वारा सहयोजन से भरा जा सकेगा।

10. 1860 के अधिनियम XXI की धारा 4 के अधीन यथाअपेक्षित प्रति वर्ष एक बार उस दिन को अथवा उसके चौदह दिन के भीतर जब इन नियमों के अनुसार संस्थान की वार्षिक आम सभा आयोजित की जाती है, शासी परिषद के सभी सदस्यों के नामों, पतों तथा पेशों की सूची दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के पास दर्ज की जाएगी।

शासी परिषद की शक्तियां

11. संस्थान के कामकाज, निधियों, परिसंपत्ति और संपत्ति के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति शासी परिषद में निहित होगी, जो वे सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा वे सभी कृत्य और कार्य करेगी जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

संस्थान द्वारा तथा उसके विरूद्ध वाद

12. शासी परिषद संस्थान की ओर से अधिकारी अथवा ऐसे अन्य अधिकारी जो 1860 के अधिनियम XXI की धारा 6 के अनुरूप शासी परिषद द्वारा प्रयोजनार्थ नामोद्दिष्ट किए जाएं के माध्यम से सभी विधिक कार्य वाहियों में अभियोग चला सकती है तथा प्रतिवाद कर सकती है।

उप-विधियों

13. शासी परिषद को ऐसी उपविधियां बनाने की शक्ति होगी जो यह संस्थान के कार्य के विनियमन तथा विशेषरूप से स्टाफ की नियुक्ति, सेवा की उनकी शर्त, बजट अनुमानों की तैयारी तथा मंजूरी व्यय की मंजूरी देने, संविदाए करने तथा संस्थान की विधियों के निवेश के लिए उचित समझे, परन्तु (i) पदों की परिलब्धियों की संरचना अर्थात् वेतनमानों तथा भत्तों एवं उनका संशोधन तथा (ii) वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर

विनिर्दिष्ट वेतन स्तर से ऊपर के अतिरिक्त पदों का सृजन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ परामर्श करके शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ही प्रवृत्त होंगे। परन्तु आगे यह भी कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का अनुमोदन परियोजना परामर्शदाताओं के पदों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पदों जो विशिष्ट अवधियों के लिए अपेक्षित हों, के सृजन तथा ऐसे पदो पर नियुक्ति की शर्तो एवं निबंधनों के लिए भी आवश्यक नहीं होगा।

वृत्तिदान इत्यादि की स्वीकृति

14. शासी परिषद किसी वृत्तिदान, न्यास अथवा दान का प्रबंधन स्वीकृत कर सकेगी बशर्ते कि इसके साथ सोसाइटी के उद्देश्यों के संगत अथवा परस्पर विरोधी कोई शर्त न हो।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

15. शासी परिषद संकल्प द्वारा अध्यक्ष, निदेशक, किसी अधिकारी अथवा किसी समिति अथवा उपसमिति जो गठित की जाए, को अपनी ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्य-संचालन के लिए कर सकेगी जो यह उचित समझे।

समितियां एवं अध्ययन फलकें

16. शासी परिषद संकल्प द्वारा नियुक्त कर सकेगीः-

(क) ऐसे प्रयोजनों तथा ऐसी शक्तियों के साथ समितियां जैसा कि शासी परिषद उचित समझे तथा ऐसी समितियों की क्रियाविधि के नियम निर्धारित करेगी।

(ख) विशेष क्षेत्रों में अध्ययनों एवं अन्वेषण के लिए यदि आवश्यक हो तो गैर-सदस्यों में से लिए गए विशेषज्ञ फलक तथा विशेषज्ञ कार्य समूह,

शासी परिषद की बैठकें

17. (1) *शासी परिषद की बैठक बुलाने का तरीकाः* अध्यक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में अधियाचन द्वारा निदेशक से किसी भी समय शासी परिषद की बैठक आहूत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे अधियाचन प्राप्त होने पर निदेशक तत्काल ही ऐसी बैठक आहूत करेगा।

(2) *शासी परिषद की बैठक की सूचनाः* शासी परिषद की प्रत्येक बैठक की न्यूनतम सात स्पष्ट दिनों की सूचना शासी परिषद के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी।

(3) *पीठासीन प्राधिकारीः* शासी परिषद की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित न हो तो उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया एक सदस्य बैठक का सभापति होगा।

(4) *गणपूर्तिः* शासी वैयक्तिक रूप से उपस्थित कोई भी पांच सदस्य शासी परिषद की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन कर सकते हैं।

(5) *बहुमत द्वारा निर्णयः* शासी परिषद की बैठक में सभी मामलों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों की बराबरी की स्थिति में सभापति के पास एक निर्णायक मत होगा परन्तु यह भी कि नियम (9) के खंड (1) के अनुसार नामित पदेन सदस्य तथा शासी परिषद के अध्यक्ष के बीच किसी वित्तीय मामले में असहमति होने की स्थिति में, जो शहर कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हो, मामले को शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा।

(6) *परिपत्रों द्वारा कार्यः* कोई कार्य जिसका संव्यवहार शासी परिषद के लिए आवश्यक हो, का संव्यवहार इसके सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकेगा तथा इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित संकल्प प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प शासी परिषद की बैठक में पारित किया गया हो।

निदेशक की शक्तियां

18. निदेशक शासी परिषद के निर्देशन तथा मार्गदर्शन के अधीन संस्थान के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा। वह संस्थान के तकनीकी तथा शैक्षणिक प्रमुख के रूप में इसके उद्देश्यों को पूरा करने में किए गए कार्य को विनियमित करेगा। वह संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सभी प्रशासिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेवार होगा, शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा अन्य स्टाफ का नियंत्रण करेगा तथा उन्हें प्रदत्त इन नियमों के तहत या शासी परिषद द्वारा प्रत्यायुक्त सभी कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

वित्त

संस्थान की निधि

19. संस्थान की निधियों में निम्न निहित होंगेः-

(क) भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या योजना और विकास प्राधिकरण; निगम और दूसरे स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान;

(ख) दूसरे स्रोतों से दान या योगदान;

(ग) सदस्यता शुल्क और सदस्यता;

(घ) शुल्क और प्रभार जो संस्थान द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए गए हों;

(ङ) निवेश, संपत्ति और दूसरी परिसंपत्ति से आमदनी

(च) प्रकाशन और दूसरे स्रोतों से आमदनी और पावतियां

आरक्षित निधियां और विशेष निधियां

20. शासी परिषद विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तथा संस्थान की गतिविधियों के विकासात्मक वित्त पोषण के लिए किसी आमदनी, स्थायी निधियाँ, ऋण, दान, अनुदानों, योगदानों में से एक संचित निधि या विशेष निधि अलग से व्यवस्थित कर सकती है। इस तरह की निधियों का कोई भी भाग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर किन्हीं और उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

बैंकर, खातों और अंकेक्षण

21. (1) संस्थान के बैंकर इस उद्देश्य के लिए शासी परिषद द्वारा समय-समय पर नामोद्दिष्ट विधिवत रूप से गठित बैंक होंगे। सारे धन अवश्य ही संस्था के इस तरह से नियुक्त बैंक या बैंकों के खाते में चुकाए जाएंगे और निदेशक द्वारा चेक के अलावा अवश्य ही किसी और स्रोत से आहरित किए नही जायेंगे या संस्थान के ऐसे ही किसी आधिकारी या अधिकारियों द्वारा या इसके ऐसे सदस्यों जो भी शासी परिषद द्वारा तय किये जाएं, द्वारा हस्ताक्षित।

(2) संस्थान के खातों की अवश्य ही लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी जो साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। लेखापरीक्षण की प्रकृति जिसे प्रयुक्त किया जाना है, और विस्तृत व्यवस्था जो खातों के रूप में की जानी है और खाते का अनुरक्षण और प्रस्तुति शासी परिषद के द्वारा समय-समय पर तय किये जाएंगे।

(3) संस्थान की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ उसका वार्षिक खाता और सारे कार्य जो वर्ष के दौरान लिये गये हैं, उस पर एक कार्यवाही रिपोर्ट शासी परिषद द्वारा जरूर ही तैयार की जाएगी, यह सदस्यों की सूचना के लिए होगी और इसे वार्षिक आम बैठक में संस्थान की आम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

सामान्य

22. (1) संस्थान या शासी परिषद की आम सभा की कोई भी कार्यवाही अवश्य ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी जो महज किसी रिक्ति, या यथास्थिति, संस्था या शासी परिषद के गठन के कोई दोष के कारण हो।

(2) इन नियमों में उपबंधित सारे चुनावों या सहयोजन के मामलों में संबंधित सदस्य यथास्थिति पुनर्निर्वाचन अथवा पुनः सहयोजन के लिए पात्र होंगे।

(3) संस्थान की आमदनी और संपत्ति जो कैसे भी अर्जित हो, संस्थान के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए प्रयुक्त होगी जैसा कि संगम ज्ञापन में व्यवस्थित है। संस्थान की

आमदनी या संपत्ति के कोई भी भाग को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान अथवा अंतरण नहीं किया जाएगा बोनस के जरिए या अन्यथा किसी भी लाभ के तरीकों से उन लोगों जो किसी समय संस्थान के सदस्य रह चुके है या हैं या उनमें से किसी को भी या उनके या इनमें से किसी द्वारा कोई भी दावे का भुगतान अथवा अंतरण नहीं किया जाएगा। इसमें निहित कोई भी बात किन्हीं या अन्य व्यक्ति को संस्थान को प्रदत्त सेवा के एवज में अथवा यात्रा भत्ता, विराम भत्तों तथा अन्य सदृश प्रकारों के लिए पारिश्रमिक के भुगतान को सदभाव से रोकेगी।

नोटिस तामील करना

23. (1) कोई नोटिस संस्थान के किसी सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर या डाक के माध्यम से सदस्यों की नामावली में वर्णित उसके पते पर तामील किया जा सकता है।

(2) कोई सूचना जो इस तरह से डाक द्वारा तामील की गई हो, को उस दिन तामील किया गया समझा जाएगा जिसके बाद वाले दिन पत्र, लिफाफा या आवरण जिसपर वही सामग्री है, डाक द्वारा प्रेषित की गई और इस तामीली का प्रमाण देने में यह प्रमाणित करना अवश्य ही पर्याप्त होगा कि कवर (आवरण) जिसमें यह सूचना थी पर उचित रूप से पता लिखा है और यह डाकघर में डाला गया है।

संस्थान के प्रयोजनों में रद्दोबदल या विस्तार

24. संस्थान उन उद्देश्यों जिसके लिए यह स्थापित है, में रद्दोबदल अथवा विस्तार कर सकता है:

(क) यदि शासी परिषद उपर्युक्त के अनुसार ऐसे रद्दोबदल या विस्तार के लिए संस्थान के सदस्यों को लिखित रूप में या मुद्रित रिपोर्ट में प्रस्तुत करती है;

(ख) यदि शासी परिषद संस्थान के सदस्यों के उक्त प्रस्ताव के विचारार्थ इन नियमों के अनुसार एक असाधारण आम सभा की बैठक बुलाता है।

(ग) यदि ऐसी रिपोर्ट संस्थान के प्रत्येक सदस्य को वितरित या डाक द्वारा प्रेषित की जाती है तो उपर्युक्त के अनुसार ऐसी असाधारण आम सभा के चौदह स्पष्ट दिनों पूर्व।

(घ) यदि ऐसे प्रस्तावों पर संस्थान के सदस्यों के तीन चौथाई मतों द्वारा से सहमति दी जाती है जो ऐसी असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मत डालते हैं।

(ङ) यदि ऐसे प्रस्ताव की संस्थान के सदस्यों की तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पुष्टि की जाती है जो दूसरी असाधारण आम सभा में, जो शासी परिषद द्वारा पिछली सभा के एक महीने के अंतराल के बाद बुलायी गई हो, में उपस्थित हों।

नियमो में संशोधन

25. संस्थान के नियम में किसी भी समय प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं जो शासी परिषद के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, जो परिषद की सभा में उपस्थित हैं और मतदान कर रहे है, जो विशेषतौर पर, इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई है, और यह इस प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से आयोजित संस्थान की आम सभा की बैठक में पुष्टि के अधीन होगी।

26. संस्थान अपना नाम संस्थान के उन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपना नाम बदल सकता है जो उपस्थित होकर संस्थान की आम सभा की बैठक में मतदान कर सकते हैं, जो कि यथाविधि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई होगी।

विघटन

27. (क) संस्थान का विघटन और उनके मामलों का समायोजन अधिनियम XXI, 1860 की धारा 13 के अनुसार होगा।

(ख) यदि संस्थान की समाप्ति या विघटन पर इसके सारे ऋणों एवं देयताओं के समाधान के बाद कोई संपत्ति, चाहे जो कुछ भी हो, विधमान रहेगी, उसे संस्थान के सदस्यों बीच ऐसे चुकाई या वितरित नहीं की जाएगी या उन पर अधिनियम XXI 1860 की धारा 14 के द्वारा उपबंधित तरीके से इस दशा के अधीन कार्रवाई की जाएगी कि अंतरण किसी और धर्मार्थ संस्था को किया जाएगा जिनके समान लक्ष्य एवं उद्देश्य हों।

1860 के अधिनियम XXI का लागू होना

28. सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के सभी प्रावधान (पंजाब संशोधन नियम, 1951) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक यथाविस्तारित के केंद्रीय क्षेत्र तक प्रसारित किये गये संस्थान पर अवश्य ही लागू होंगे।

हमलोग, राष्ट्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की शासी परिषद के सदस्यों के तीन अधोहस्ताक्षरी होते हुए एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि यह हमारे नियमों और विनियमों जो कि 23

फरवरी 1976 को आयोजित की गई विशेष आम सभा की बैठक में पारित किए गए थे, 26 मार्च, 1976 को इनकी पुष्टि की गई थी, की सही प्रतिलिपि हैं

1. श्री जे.आर. भाटिया ह/-
   5, सुंदर नगर
   नई दिल्ली ..

2. प्रो. पी.बी. देसाई ह/-
   ए/5, आर्थिक विकास के संस्थान

3. श्री पी.एल. वर्मा ह/-
   28, सेक्टर 5
   चंडीगढ़

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की सेवा उपविधियां, 1 मार्च, 1997 तक की स्थिति के अनुसार

अध्याय I:

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक और आरंभः

   1) ये उपविधियां राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की सेवा उपविधियां कहलाएंगी।

   2) वे 1 मार्च, 1997 से प्रवृत्त होंगी।

2. लागू होनाः

   1) ये उपविधियां समेकित वेतन पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों के अतिरिक्त संस्थान के कर्मचारी पर अवश्य ही लागू होंगी।

   2) खंड (1) में निहित कुछ भी बात के बावजूद भी, शासी परिषद भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग की सेवा की दशाओं के संबंध में, ऐसे विशेष प्रावधानो का निर्माण कर सकती है, जैसा कि यह जरूरी समझती है और इसके तत्काल बाद ये उपविधियां अवश्य ही ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग पर ऐसे विशेष उपबंधों के अध्यधीन लागू होंगी।

3. परिभाषाएं:

   इन उपविधियों मे, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

   क) "नियुक्ति प्राधिकारी" अवश्य ही होगाः

      i) निदेशक के मामले में शासी परिषद,

      ii) निदेशक को छोड़कर समूह 'क' के पद के मामलों में अध्यक्ष।

      iii) अन्य पदों के मामले में निदेशक

   ख) "नियुक्ति समिति" का अभिप्राय नियुक्तियाँ संबंधी समिति से है जो संस्थान के नियमों और विनियमों के नियम 16(क) के तहत शासी परिषद के प्रस्तावों के द्वारा नियुक्त है।

ग) "गृहित कर्मचारी" का अभिप्राय किसी प्राधिकारी के किसी ऐसे कर्मचारी से है जिनकी सेवाएं संस्थान द्वारा ऋण पर प्राप्त की जाती हैं;

घ) कर्मचारी का अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी पद के विरूद्ध संस्थान में नियुक्त हैं;

ङ) "विदेश सेवा" का अभिप्राय वैसी सेवा से है जिसके लिए किसी कर्मचारी ने नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी से किसी स्रोत से अपना वेतन पाया न कि संस्थान की निधि से;

च) "शासी परिषद और/ या परिषद" का अभिप्राय संस्था की शासी परिषद से है

छ) 'सरकार' का अभिप्राय केंद्रीय सरकार से इसके विभाग के माध्यम से है जो शहरी विकास के कार्य की देखरेख करता है,

ज) संस्थान का अभिप्राय राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान से है;

झ) "अनुसूची" का अभिप्राय इन उपविधियां की अनुसूची से है;

ञ) "वरिष्ठ उपाध्यक्ष" का अभिप्राय शासी परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से है।

सारे अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां जो कि इन उपविधियां में प्रयुक्त की गई, लेकिन परिभाषित नही की गई और संस्थान के नियमों और विनियमों में उनके अर्थ वे होंगे जो उक्त नियमों और विनियमों में परिभाषित हुई उन्हें क्रमागत रूप से सौंपे गए हों।

अध्याय II:

पदों की संख्या, वर्ग, और श्रेणीकरण

04.1 पदों की संख्या, वर्ग और प्रवर्गः

i) संस्थान के तहत पद उन वर्गों और प्रवगों के होंगे जो कि अनुसूची । में विनिर्दिष्ट होंगे।

ii) इन उपविधियों के आरंभ होने पर मूल पदों की संख्या सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार होगी।

iii) शासी निकाय सरकार को किसी भी मूल पद के सृजन करने, इसे खत्म करने अथवा उन्नयन की सिफारिश कर सकता है और सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर मूल पदों को ऐसे अनुमोदन के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

बशर्ते कि केवल कतिपय समूह क के मूल पदों के सृजन तथा उन्नयन हेतु वित्त मंत्रालय के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा होगी।

iv) निदेशक समय-समय पर समूह 'ख', 'ग' और 'घ' पदों में से किसी भी पद के संबंध में परियोजना पद सृजित कर सकता है।

v) अध्यक्ष समय-समय पर समूह 'क' पदों में विशेष परियोजना के लिए विशेष अवधि हेतु संविदा आधार पर परियोजना पद सृजित कर सकते हैं।

vi) उप खंड (iv) और (v) में उल्लिखित पद गैर-मूल पद होंगें।

05.1 पदों का वर्गीकरण

i) संस्थान में पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित समूहों में किया जाएगाः

मूल वेतन श्रेणी पद अथवा पदों के अधिकतम वेतनमान वाले पद	श्रेणी
4000 रुपए अथवा इससे अधिक	समूह 'क'
2,900 से 3999 रूपए	समूह 'ख'
1,151 से 2899 रुपए	समूह 'ग'
1 से 1,150 रुपए	समूह 'घ'

ii) समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' अथवा अन्यथा के संदर्भ में पदों का वर्गीकरण केंद्रीय सिविल पदों/सेवाओं के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा वर्गीकरण पदों के समान होगा।

अध्याय ।।।

6.0 भर्ती

06.1 भर्ती की पद्धतिः

1) उपर्युक्त पदों के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा अन्य मामले अनुसूची-।। में दिए गए पद विशेष के लिए यथाविर्निष्ट होंगें।

2) अर्हता की शर्त के अध्यधीन संस्थान का कोई भी कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु अपेक्षित पदों पर आवेदन कर सकता है।

06.2.1 प्रोन्नति द्वारा भर्तीः

क) प्रोन्नति द्वारा किसी भी समूह में किसी पद पर नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

ख) विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय जांच समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें:-

i) अध्यक्ष (उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष) — सभापति

अध्यक्ष द्वारा नामित शासी परिषद का एक सदस्य — सदस्य

विषय के एक विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो और वह संस्थान से नहीं हो — सदस्य

निदेशक — सदस्य

ii) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष अथवा एक सदस्य एससी अथवा एसटी श्रेणी का न हो तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

ग) भारत सराकर की योजना अर्थात् "'केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन"' स्कीम संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होगी।

06.2.2सीधी भर्तीः

1) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की सिफारिश पर सीधी भर्ती द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति करेगा:

i) समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले अथवा मांग सूची पर रोजगार एक्सचेंज द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों में से;

ii) किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से;
अथवा समूह 'क' और 'ख' पदों मे नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को आमंत्रित करके।

iii) नामांकनों के लिए अनुरोध के प्रत्युत्तर में समूह 'क' पदों के लिए प्राप्त नामांकनों से।

2) निदेशक के सिवाय समूह 'क' पदों हेतु चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें:-

क)	अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष)	सभापति
ख)	शासी परिषद द्वारा सदस्यों में से नामित दो सदस्य, जिसमें सरकार का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा।	सदस्य
ग)	निदेशक	सदस्य
घ)	निम्नतम ग्रेड से ऊपर वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए; अध्यक्ष द्वारा नामित एक विषय- विशेषज्ञ, जो संस्थान का न हो और जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो	सदस्य
ङ)	निचले स्तर पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों एवं गैर-तकनीकी पदों के मामले में एक सदस्य एससी/एसटी समुदाय से होगा जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।	

3) समूह 'ख' संबंधी चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें:-

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
निदेशक	सदस्य
प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
एससी/एसटी समुदाय का एक सदस्य, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य

4) समूह 'ग' पद संबंधी चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें:-

निदेशक	अध्यक्ष
निदेशक द्वारा नामित दो अधिकारी जिसमें से एक एससी/एसटी समुदाय का होगा।	सदस्य
प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी	सदस्य

5) समूह 'घ' पद संबंधी चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें:-

निदेशक द्वारा प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी	सभापति
एससी/एसटी समुदाय का एक सदस्य	सदस्य
कार्यकारी अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी रैंक का एक अधिकारी	सदस्य

6) चयन समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

06.2.3 गृहीत कर्मचारी की नियुक्ति:

भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की यथानिर्धारित मानक शर्तों एवं निबंधनों पर किसी भी पद पर किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है।

7.0 अनुसूचित जातियों/जनजातियों/विकलांगों के लिए पदों का आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते समय नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि पर समय-समय पर लागू आरक्षण तथा अन्य शिथिलताओं के संबंध में भारत सरकार के आदेशों का पालन करेगा। इन आदेशों को कार्यान्वित करते समय भारत सरकार से यथावश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण मंगाए जाएंगें।

7.1 साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता

किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सरकार में उसी पद के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी नियमों के अंतर्गत यथा अनुमत्य यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

7.2 स्वस्थता (फिटनेस)

किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती पर किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वहः

i) संस्थान द्वारा अनुमोदित चिकित्सा परामर्शदाता से शारीरिक स्वस्थता कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा; और

ii) भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यथाविहित प्रपत्र में उत्तम चरित्र का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

अध्याय IV

8.0 कार्यकाल

01. परिवीक्षा की अवधि

1) समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों पर नियुक्त/प्रोन्नत कर्मचारी दो वर्ष तक तथा समूह 'घ' पद के कर्मचारी एक वर्ष तक परिवीक्षा की अवधि पर रहेंगें। परिवीक्षावधि के दौरान कर्मचारी को संतोषजनक सेवा प्रदान करनी होगी, जिसके नहीं किए जाने पर उसकी सेवाएं कोई भी कारण बताए बगैर किसी भी समय समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

2) यदि किसी भी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस पद को धारित किए जाने हेतु अयोग्य पाया जाता है अथवा परिवीक्षावधि संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं करता है अथवा किसी भी समय यह पाया जाता है कि जिस जानकारी के आधार पर उसे नियुक्त किया गया था वह तथ्यात्मक संदर्भ में गलत है, तो नियुक्ति प्राधिकारी:

   i) नोटिस दिए बगैर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है; अथवा
   ii) उसे ऐसे निचले पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिसके लिए उसे अन्यथा योग्य पाया जाता है;
   iii) परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है अथवा ऐसी विस्तारित परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के उपरांत पद के लिए उसकी उपयुक्ता की जांच कर सकता है।

3) प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा किसी स्थाई पद पर प्रत्येक व्यक्ति, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर उस पर स्थाई नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

02. अस्थाई और स्थाई सेवाः

   i) कोई भी कर्मचारी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने तक संस्थान का अस्थाई कर्मचारी रहेगा।
   ii) किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कोई भी कर्मचारी एक स्थाई कर्मचारी होगा।

03. स्थाई नियुक्ति:

किसी भी कर्मचारी को तब तक स्थाई पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तकः

i) ऐसा पद स्थाई न हो तथा कोई भी उस पद पर स्थाई क्षमता में धारक न हो; और

ii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाए।

04. सेवा का समापनः

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी भी अस्थाई कर्मचारी की सेवा बिना कोई भी कारण बताए निम्नानुसार समाप्त की जा सकती है:-

क) पहली नियुक्ति के उपरांत किसी भी विस्तारित अवधि सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी समय।

ख) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के उपरांत लिखित में एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान करके अथवा नोटिस की अवधि एक माह के कम होने पर ऐसी अवधि का भुगतान करके।

(2) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए *सेवा समाप्ति तथा नोटिस की अवधि नियुक्ति आदेश में यथाविनिर्दिष्ट होगी।*

(3) खंड (1) और (2) के प्रावधानों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बगैर अस्थाई कर्मचारी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगीः

i) यदि विशेष अवधि के लिए नियुक्ति की गई है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर, अथवा

ii) पद के खत्म होने पर अथवा उस अवधि, जिसके लिए पद सृजित किया गया था, की समाप्ति पर; अथवा

iii) उस परियोजना के पूरा होने पर, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी; अथवा

iv) यदि नियुक्ति किसी खाली रिक्ति पर की गई थी, तो पदधारक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, जो भी पहले हो।

(4) किसी स्थाई कर्मचारी की सेवाओं को शासी निकाय का अनुमोदन लेकर तीन माह का नोटिस देकर अथवा तीन माह से कम नोटिस की अवधि होने पर ऐसी अवधि

का भुगतान करके अथवा बिना कोई नोटिस दिए तीन माह के वेतन का भुगतान करके समाप्त किया जा सकता है और ऐसी बैठक में 2/3 सदस्य से कम सदस्य उपस्थित नहीं होंगें तथा मतदान नहीं करेंगें। उपर्युक्त नोटिस जारी करके सेवा समापन की स्वीकृति से पहले शासी परिषद प्रस्तावित सेवा समाप्ति संबंधी इसके कारणों को दर्ज करेगी। यदि शासी परिषद कर्मचारी अथवा अन्यथा के प्रतिवेदन पर संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना अनिवार्य है तो यह सेवा समापन संबंधी नोटिस अथवा आदेश के 3 माह के भीतर सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर सकती है।

(5) खंड (3) के अंतर्गत सेवा समाप्ति का नोटिस दिए जाने वाले कर्मचारी को नोटिस की अवधि के दौरान उसे अनुमत्य अर्जित अवकाश दिया जा सकता है परंतु यह नोटिस की शेष अवधि से ज्यादा नहीं होगा।

05. वरिष्ठताः

प्रत्येक श्रेणी में संस्थान के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उस मेरिट आदेश में किया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रश्नगत ग्रेड में नियुक्ति हेतु प्रोन्नत/चयनित किया गया है। पूर्ववर्ती अवसर पर चयनित व्यक्तियों का रैंक बाद में चयनित व्यक्तियों के रैंक से पहले होगा। चयन/वरिष्ठता के 4 माह के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उस चयन के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि द्वारा किया जाएगा।

06. अधिवार्षिताः

संस्थान के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता की आयु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की दिनांक 27.5.1998 की अधिसूचना सं. 25012/2197-स्थापना द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

07. अनिवार्य सेवानिवृतिः

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामोद्दिष्ट किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी को सेवा के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाने पर उस कर्मचारी को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति दे दी जाएगी।

08. स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिः

खंड 6 में कुछ भी निहित होने के बावजूद नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी की आयु पचास वर्ष पूरी होने पर अथवा संस्थान में नियमित सेवा के उसके 20 वर्ष पूरे होने पर उसे तीन माह का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में वह सेवा की अवधि के अनुरूप अधिवर्षितावय पर यथा अनुमत्य सेवानिवृति संबंधी सभी लाभों हेतु पात्र होगा।

09 त्याग पत्रः

i. कोई भी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को स्थाई होने से पहले एक माह का और स्थाई होने के उपरांत तीन माह का नोटिस लिखित में देकर संस्थान की सेवा से त्याग पत्र दे सकता है यदि नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से शिथिल न किया गया हो।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही त्याग पत्र पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय V

वेतन

01. वेतनमानः

इस संस्थान के अंतर्गत विभिन्न वेतनमान उस पद विशेष के लिए भर्ती नियमों में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।

02 आरंभिक वेतनः

1. कोई भी कर्मचारी सामयिक वेतन मान संबंधी किसी पद पर अपनी पहली नियुक्ति पर उस टाइम स्केल का निम्नतम वेतन आहरित करेगा।
2. यदि किसी कर्मचारी को लगातार 30 दिनों तक वरिष्ठता क्रम में उसी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, तो वह अतिरिक्त प्रभार धारित करने की अवधि के लिए अपने मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ते हेतु पात्र होगा।
3. यदि कोई कर्मचारी वरिष्ठता क्रम में उच्चतर पद का अतिरिक्त प्रभार धारित करता है, तो वह अतिरिक्त प्रभार धारित करने की अवधि के लिए अपने वेतन-मान में अपने मूल वेतन के 20% की दर से विशेष भत्ते हेतु पात्र होगा।

03. वेतन वृद्धि:

1. यदि किसी भी वेतन वृद्धि को अन्यथा रोका न गया हो तो यह उस महीने की पहली तारीख को टाइम वेतनमान में आहरित होगी जिसमें यह देय होगी। कर्मचारी को वेतन वृद्धि दिए जाने वाली तारीख को उपस्थित होना चाहिए।
2. नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को टाइम स्केल में क्षमता बार दिए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा बशर्ते कि वह स्वस्थ हो।

04. वेतन वृद्धि हेतु सेवा:

किसी पद के टाइम स्केल में वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सेवा की गणना की जाएगीः

1. उसी पद में अथवा उसी या उच्च ग्रेड में अन्य किसी पद में कर्त्तव्य निर्वहन;
2. विदेशी सेवा में समकक्ष अथवा उच्च पद में कर्तव्य निर्वहन; और

3. छुट्टी, चिकित्सा आधार के बगैर अतिरिक्त छुट्टी के अलावा।

05 छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतनः

1. विधिवत अनुमोदित छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुमत्य शर्तों के अध्यधीन और उन्हीं दरों पर छुट्टी वेतन अनुमत्य होगा।
2. विधिवत अनुमोदित अध्ययन छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के लिए यथाविनिर्दिष्ट दर पर वेतन आहरित करेगा।
3. अतिरिक्त सामान्य छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी के लिए कोई भी वेतन अनुमत्य नहीं होगा।

06. मानदेय

नियुक्ति प्राधिकारी भारत सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू शर्तों पर अपने कर्मचारियों को मानदेय की स्वीकृति दे सकता है।

07. वेतन आहरणः

1. कोई भी कर्मचारी किसी पद पर पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण करने पर उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस पद पर नियुक्त होने पर वेतन आहरित करने हेतु पात्र होगा। यदि अपराह्न में कार्य भार ग्रहण किया जाएगा तो वह अगली तारीख से वेतन आहरित करेगा।
2. किसी भी माह के संबंध में वेतन महीने के अंतिम कार्य दिवस को देय होगा सिवाय मार्च के, जिसमें यह अप्रैल के पहले कार्य दिवस को देय होगा।
3. जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अध्याय ।V के खंड 9 के अंतर्गत विहित नोटिस के बगैर संस्थान की सेवा से त्याग पत्र देने वाले किसी कर्मचारी को लिखित में अन्यथा दिशानिर्देश नहीं देता तब तक कर्मचारी को नोटिस की विहित अवधि से अधिक अवधि तक वेतन आहरित करने की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय VI

भत्ते

01. भत्तों के प्रकार:

कर्मचारियों को ये भत्ते सरकार के कर्मचारियों को उसी पद को धारित किए जाने पर समय-समय पर यथा शर्तें तथा उन्हीं दरों पर अनुमत्य होंगें।

02 छुट्टी के दौरान भत्तेः

विधिवत अनुमोदित छुट्टी के दौरान कोई भी कर्मचारी भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यथा अनुमत्य भत्तों हेतु पात्र होगा।

03 छुट्टी यात्रा रियायतः

कोई भी कर्मचारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों पर यथा लागू शर्तों तथा निबंधनों पर छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पात्र होगा।

अध्याय VII

चिकित्सा सुविधाएं

कोई भी कर्मचारी समय-समय पर लागू चिकित्सा नियमों के अंतर्गत यथा लागू चिकित्सा लाभों हेतु पात्र होगा।

अध्याय VIII

छुट्टी

01 कर्मचारियों को समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम), 1972 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सदृश श्रेणियों को यथा अनुमत्य छुट्टी प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि संस्थान में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर आया कर्मचारी उस प्रतिनियुक्ति आदेश में यथा निर्धारित छुट्टी नियमों द्वारा शासित होगा।

छुट्टी देने की प्रक्रियाः

02.

1. सीसीएस (छुट्टी नियम), 1972 में यथा उपबंधित छुट्टी के लिए आवेदन करने तथा स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं छुट्टी के रिकॉर्ड का रखरखाव यथोचित परिवर्तनों सहित संस्थान पर लागू होगा।
2. अध्ययन छुट्टी के अलावा बाकी सभी छुट्टियों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी निदेशक होगा। निदेशक के मामले में अध्ययन छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टियों की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होंगें।
3. निदेशक के सिवाय अन्य कर्मचारियों की अध्ययन छुट्टी अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति होगा।

03. छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी अंतरण

संस्थान का कर्मचारी सीसीएस (छुट्टी नियम) 1972 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान छुट्टियों के नकदीकरण/अंतरण हेतु पात्र होगा।

अध्याय IX:

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभः

01 अंशदायी भविष्य निधिः

कर्मचारी संस्थान के नियमों के अध्यधीन तथा अनुसार संस्थान की अंशदायी भविष्य निधि के लाभों हेतु पात्र होंगें।

02 उपदानः

संस्थान के कर्मचारियों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यथालागू नियम लागू होंगें।

03 बीमाः

i) समूह बचत संबद्ध बीमा योजना।

भारतीय जीवन बीमा निगम की मौजूदा स्कीम मौजूदा सदस्यों के अलावा सभी भावी कर्मचारियों पर लागू होगी। सदस्यों को 82.5% अंशदान देना होगा तथा संस्थान का योगदान इस अंशदान में 17.5% होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाएगा।

ii) समूह बीमा योजना।

यह योजना संस्थान के सभी कर्मचारियों पर अनिवार्यतः लागू होगी। संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम को लाभांश का सालाना भुगतान करेगा।

अध्याय X

सेवा की सामान्य शर्तें:

1) पूर्णकालिक रोजगारः

संस्थान का कर्मचारी एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा उस पद से संबद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन करना अथवा कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सौंपे जाने वाले दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित होगा।

2) प्रतिनियुक्ति और पोस्टिंगः

i) कर्मचारी द्वारा भारत में किसी भी स्थान पर तथा उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पद के समकक्ष पद पर संस्थान को सेवाएं देना अपेक्षित होगा।

ii) कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि वह भारत में किसी भी स्थान तथा उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पद के समतुल्य पद पर संस्थान को सेवाएं प्रदान करें।

अवकाशः

सरकार द्वारा घोषित अवकाशों का संस्थान द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

सेवा पंजिका और चरित्र दस्तावेजः

(i) संस्थान निदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र तथा व्यवस्था में प्रत्येक कर्मचारियों की सेवा पंजिका और चरित्र दस्तावेज रखेगा।

(ii) निदेशक द्वारा यथाप्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की सेवा पंजीका में प्रविष्टियां की जाएंगी।

(iii) केंद्र सरकार द्वारा यथा लागू चरित्र दस्तावेजों प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया का संस्थान में अनुसरण किया जाएगा।

अध्याय XI

अनुशासन

01. अनुशासनात्मक कार्यवाहीः

इस अध्याय में बाद में किए गए प्रावधानों के अध्यधीन, अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामलों में सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 30 और 31, शास्ति, अपील संशोधन तथा समीक्षा भाग IV से VIII यथा संबद्ध संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगें।

02. अनुशासनिक प्राधिकारीः

अध्यक्ष	-	निदेशक के लिए
निदेशक	-	समूह क, ख और ग के लिए
प्रशासन एवं लेखा अधिकारी अधिकारी	-	समूह घ के लिए

03. अपीलीय प्राधिकारीः

अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील निम्नानुसार की जाएगीः

i) अध्यक्ष द्वारा पारित किए गए आदेशों के खिलाफ संस्थान की परिषद के समक्ष;

ii) निदेशक द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ संस्थान के अध्यक्ष के समक्ष; और

iii) निदेशक के अलावा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों के खिलाफ संस्थान के निदेशक के समक्ष।

04. अपील के लिए समय-सीमा अवधिः

निलंबन अथवा निलंबन तुल्य आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। संबद्ध व्यक्ति को आदेश देने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के उपरांत किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

05. समीक्षाकर्ता प्राधिकारीः

निम्नलिखित द्वारा समीक्षा की जाएगीः

अध्यक्ष	-	निदेशक के आदेश के खिलाफ
शासी निकाय	-	अध्यक्ष के आदेशों के खिलाफ
सरकार	-	शासी निकाय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ

06. अन्य संयोजन

सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 की प्रयोज्यता में सरकारी सेवक वाले सभी संदर्भों को 'संस्थान के कर्मचारी' के रूप में पढ़ा जाएगा तथा अध्यक्ष को शक्तियां देने वाले सभी प्रावधानों को उस सीमा तक खत्म कर दिया गया माना जाएगा।

अध्यक्ष XII

सामान्य

01. सामान्य आचरण से संबंधित मामले:

निदेशक सहित सभी कर्मचारी सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में यथा निहित प्रावधानों द्वारा शामिल होंगें। ऐसे नियमों की प्रयोज्यता के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे:

-निदेशक के अलावा संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए संस्थान का निदेशक

-निदेशक के लिए संस्थान का अध्यक्ष।

02. शक्ति का प्रत्योजनः

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा नहीं हो, अध्यक्ष अथवा निदेशक लिखित में आदेश देकर इन उप-विधियों के अंतर्गत अपनी किन्हीं भी शक्तियों को संस्थान के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

03. केंद्रीय सतर्कता का अधिकार-क्षेत्र

संस्थान के कर्मचारी सतर्कता से संबंधित मामलों के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होंगें।

04. सेवा की अवशिष्ट शर्तें:

किसी कर्मचारी की सेवा की शर्तों के संबंध में ऐसे मामलों, जिसके संबंध में इन उप-विधियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, का निर्धारण सरकार के अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा किया जाएगा।

05. संशोधन करने की शक्तिः

शासी निकाय समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से इन उप-विधियों के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकता है।

06. संदेहों का निराकरणः

यदि ऐसा संदेह पैदा होता है कि क्या इन उप-विधियों के किन्हीं प्रावधानों के निवर्चन अथवा प्रयोज्यता के संबंध में संस्थान का कोई प्राधिकारी किसी भी तरीके से संस्थान के अन्य प्राधिकारी से प्रवर है तो इस संबंध में शासी निकाय का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची-I

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

नई दिल्ली

क्र.सं.	**पद का नाम**	**वेतनमान**
समूह क		
01	निदेशक	22400-525-24500
02	प्रोफेसर	14300-400-18300
03	एसोसिएट प्रोफेसर/आवास पर्यावरण और शहरी योजनाकार/वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी	12000-375-16500
04	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/रिसर्च फेलो/सामाजिक नियोजक/प्रशासन एवं लेखा अधिकारी/संपादक/ प्रणाली विश्लेषक/पुस्तकालय - I/पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	10000-325-15200
05	अनुसंधान अधिकारी/खरीद, रखरखाव और सुरक्षा अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी	8000-275-13500
समूह 'ख'		
06	पुस्तकालयाध्यक्ष	6500-200-10500
07	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	5500-175-9000+335 एसपी
08	वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन/निजी सचिव/कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/सहायक कार्यकारी अधिकारी	5500-175-9000
समूह 'ग'		
09	अनुसंधान विश्लेषक	5000-180-8000

10	निजी सहायक/वरिष्ठ लेखाकार/सहायक - I	5000-180-8000
11	पर्यवेक्षक/प्रभारी (डब्ल्यूपीओ या डीटीपी)/ सहायक प्रोग्रामर/ड्राफ्ट्समैन/वरिष्ठ यंत्र चालक	4500-125-7000
12	अन्वेषक/वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटर/कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन/ लेखाकार/यूडीसी/सहायक आशुलिपिक/मशीन ऑपरेटर/कार्यवाहक (केयरटेकर)/पुस्तकालय सहायक	4000-100-6000
13	अवर श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर/सहायक यंत्र चालक/अनुरेखक/स्टाफ कार चालक	3050-15-3950-80-4590
समूह 'घ'		
14	पुस्तकालय परिचर	2650-65-3300-70-4000
15	चपरासी/चौकीदार/गार्डनर/फर्राश़/सफाई कर्मचारी/मैसेंजर	2550-55-2660-60-3200